संख्या-95/2022/1854/26-3-2022-2944/2017

प्रेषक

डॉ रमेश चन्द्र तिवारी

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण

उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त 2022

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रया भदोही राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय परसिया जनपद-मिर्जापुर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रहीमाबाद जनपद-सीतापुर एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चकिया जनपद-चन्दौली में ट्रांजिट हास्टल निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु तृतीय/अन्तिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-477-80/स0क0/ए0टी0एस0-सेल (126)/सूचना 2022-23, दिनांक-30.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2022-22 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ट्रांजिट हास्टल निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रया, भदोही, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, परसिया, जनपद-मिर्जापुर, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रहीमाबाद, जनपद-सीतापुर एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चकिया, जनपद-चन्दौली में ट्रांजिट हास्टल निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु तृतीय/अन्तिम के रूप में रू0-350.04 लाख (तीन करोड़ पचास लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में जारी धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में जारी धनराशि	तृतीय/अन्तिम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रया भदोही।	291.67	145.83	58.33	87.51
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, परसिया, मिर्जापुर।	291.67	145.83	58.33	87.51
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रहीमाबाद, सीतापुर।	291.67	145.83	58.33	87.51
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चकिया चन्दौली।	291.67	145.83	58.33	87.51
	योग-				**350.04**

(रूपये-तीन करोड पचास लाख चार हजार मात्र)

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(6)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्ता कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11)-प्रश्ननगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- ''4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

पृसं0-95/2022/1854(1)/26-3-2022 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, भदोही, मिर्जापुर, सीतापुर एवं चन्दौली।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, भदोही, मिर्जापुर, सीतापुर एवं चन्दौली।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in